प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.11..2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ~~93~~ 1 (क्रमांक ~~*~~ 93) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग

(ख) कंडिका 'क' अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों से शराब का विक्रय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	देशी मदिरा प्रूफ लीटर में	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) प्रूफ लीटर में	विदेशी मदिरा (माल्ट) ब. ली. में
2014–15	2456118	698898	297664
2015–16	2494521	579454	288827
2016–17 (25.10.2016 तक)	3255205	182054	201525

(ग) कंडिका 'क' अंतर्गत संचालित दुकानों से शासन को प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	राजस्व रूपयों में
2014–15	608702397
2015–16	573646521
2016–17 (25.10.2016 तक)	372229885

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

ख) कंडिका 'क' अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों से शराब का विक्रय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	देशी मदिरा प्रूफ लीटर में	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) प्रूफ लीटर में	विदेशी मदिरा (माल्ट) ब. ली. में
2014–15	2456118	698898	297664
2015–16	2494521	579454	288827
2016–17 (25.10.2016 तक)	**1446450**	182054	201525

(ग) कंडिका 'क' अंतर्गत संचालित दुकानों से शासन को प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	राजस्व रूपयों में
2014–15	608702397
2015–16	**673646521**
2016–17 (25.10.2016 तक)	372229885

भार साधक सदस्य

(अमर अग्रवाल)
माननीय मंत्री
वाणिज्यिक कर विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.11.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ०3 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 481) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" में अंकित **"नक्सली घटनाओं में घायल एवं मृत 22 आम नागरिकों को 79.20 लाख रूपये की सहायता राशि एवं 03 पीड़ित को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है । वर्षवार विवरण** ~~पृष्ठ "ब"~~ (परिशिष्ट-तीन) **पर संलग्न है"** के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

"नक्सली घटनाओं में घायल 03 एवं मृत 19, कुल 22 प्रभावितों को 79.20 लाख रूपये की सहायता राशि एवं 03 पीड़ितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त कुल 08 प्रभावितों को उनके वाहन क्षतिग्रस्त होने से रूपये 50,000/– प्रति प्रकरण के मान से कुल 4.00 लाख रूपये की सहायता प्रदान की गई है । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

नक्सली घटनाओं में घायल एवं मृत आम नागरिकों को दी गई सहायता राशि एवं पीड़ित को सरकारी नौकरी प्रदान किये जाने की वर्षवार जानकारी

(राशि रूपये लाख में)

स.क.	वर्ष	प्रभावितों की संख्या	राज्य शासन द्वारा दी गई सहायता राशि	केन्द्रीय सहायता राशि	कुल सहायता राशि	रिमार्क
1.	2013–14	निरंक	–	–	–	–
2.	2014–15	2	10.00	6.00	16.00	–
3.	2015–16	11	7.00	33.00	40.00	–
4.	2016–17	9	17.20	6.00	23.20	03 पीड़ित को सरकारी नौकरी दी गई।
कुल योग –		22	34.20	45.00	79.20	

नक्सली घटनाओं में क्षतिग्रस्त वाहन/सम्पत्ति हेतु दी गई सहायता राशि की जानकारी

(राशि रूपये लाख में)

स.क.	वर्ष	प्रभावितों की संख्या	राज्य शासन द्वारा दी गई सहायता राशि	केन्द्रीय सहायता राशि	कुल सहायता राशि
1.	2013–14	निरंक	–	–	–
2.	2014–15	8	4.00	–	4.00
3.	2015–16	निरंक	–	–	–
4.	2016–17	निरंक	–	–	–
कुल योग –		8	4.00	–	4.00

(रामसेवक पैकरा)
मंत्री, गृह

प्रश्नो में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.11.2016 की प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 04 एवं 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (कमांक–502) में से निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ख' में "नियमानुसार निविदा बुलाना आवश्यक था।" **का लेख किया गया है ।**

प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ग' में "बिना निविदा आमंत्रित किये, लर्न नेचर कन्सलटेन्ट को राशि भुगतान किये जाने हेतु तत्कालीन वन मंडलाधिकारी रायपुर तथा वनमंडलाधिकारी दुर्ग के विरूद्व जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा क्रमशः मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर एवं मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) दुर्ग वन वृत्त को निर्देश जारी किये गये है," **का लेख किया गया है ।**

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावें :–

प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ख' में "छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम–04 के अनुसार ऐसे प्रकरणों में जहां निविदा का अनुमानित मूल्य राशि रू. 5001 से 50,000 तक हो, में सीमित निविदा के आधार पर क्रय किए जाने का प्रावधान है । अन्य प्रकरणों में जहॉ निविदा का अनुमानित मूल्य राशि रू. 50,001 से अधिक हो, में खुली निविदा पद्धति से क्रय किए जाने का प्रावधान है । अतः छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम–04 के प्रावधान के अनुसार निविदा की अनुमानित राशि के आधार पर सीमित निविदा एवं खुली निविदा बुलाना आवश्यक था ।" **पढ़ा जावें ।**

प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ग' में "बिना निविदा के राशि भुगतान करने वाले अधिकारियों की जवाबदारी के निर्धारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी हैं । प्रत्येक प्रकरण में गुणदोष के आधार पर जवाबदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।" **पढ़ा जावें ।**

(महेश गागड़ा)
वनमंत्री

(महेश गागड़ा)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
वन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

–:: प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप ::–

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.11.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 14 (कमांक 520) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" से संबंधित परिशिष्ट "पांच" के स्थान पर "अ" में अंकित तालिका के पश्चात् निम्नांकित जानकारी को जोड़कर पढ़ा जावे :–

जिला	प्रोत्साहन राशि	केन्द्रीय पुनर्वास योजना के अंतर्गत दी गई सहायता	आवास सुविधा	नौकरी	प्रशिक्षण	अन्य सुविधा
सुकमा	78 को 5–5 हजार रू. प्रोत्साहन राशि 336 को 10–10 हजार रू. प्रोत्साहन राशि	07 को 1.50–1.50 लाख रू. फिक्स डिपाजिट किये जाने हेतु स्वीकृत	58 को आवास सुविधा	–	–	–
धमतरी	02 को 10–10 हजार रू. प्रोत्साहन राशि	02 को 1.50–1.50 लाख रू. फिक्स डिपाजिट	01 को आवास सुविधा	01 नौकरी	–	02 को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट, मुख्यमंत्री खाद्यान योजना अंतर्गत

13/11

(रामसेवक पैकरा)
मंत्री, गृह

–:: प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप ::–

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.11.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 27 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (कमांक 29) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''क'' में अंकित तालिका के ''सरल कमांक–02 थानों के नाम ''मंदिर हसौद'' के सम्मुख स्तम्भ ''स्वीकृत बल'' के उप स्तम्भ ''प्र.आर.'' में अंकित ''08'' के स्थान पर ''10'' पढ़ा जावे।

13/11

(रामसेवक पैकरा)
मंत्री, गृह

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 16.11.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 42 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (**क्रमांक 488**) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग में –

वर्ष 2013–14 से 2016–17 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नलकूप एवं उनके स्पेयर पार्ट्स तथा सबमर्शिबल पम्प एवं उनके स्पेयर पार्ट्स व विभिन्न साईज के पाईप की मुख्यालय स्तर एवं जिला स्तर पर की गई खरीदी की जानकारी, फर्म का नाम सहित वर्षवार/परिशिष्ट– पुस्तकालय में रखे **में दर्शित अनुसार है।**

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

वर्ष 2013–14 से 2016–17 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नलकूप एवं उनके स्पेयर पार्ट्स तथा सबमर्शिबल पम्प एवं उनके स्पेयर पार्ट्स व विभिन्न साईज के पाईप की मुख्यालय स्तर एवं जिला स्तर पर की गई खरीदी की जानकारी, फर्म का नाम सहित वर्षवार संशोधित परिशिष्ट–"अ" में दर्शित अनुसार है।

रामसेवक पैकरा
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
गृह जेल एवं लोक स्वा. यांत्रिकी

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

(1) प्रश्न क्रमांक — 402
(2) विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि — 09 / 11 / 2016
(3) सदन में उत्तर देने की तिथि — 16 / 11 / 2016
(4) वर्ग जिसके लिये वह तिथि नियत है — वर्ग– 02

नगरीय प्रशासन एवं विकास **विभाग**

विषय :– नगर पंचायत मल्हार में विकास कार्यो के संबंध में।

श्री दिलीप लहरिया तारांकित **प्रश्न**

क्या **नगरीय प्रशासन मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी के अंतर्गत नगर पंचायत मल्हार में वर्ष 2014–15 व 2015–16 में कुल कितने निर्माण कार्यो की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दी गई है ?

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्यो की वार्डवार जानकारी देने का कष्ट करें

(ग) स्वीकृत कार्यो के लिये कुल कितनी राशि जारी की गई है व निर्माण की क्या स्थिति है? जानकारी देने का कष्ट करें।

पुनरीक्षित उत्तर

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल)

(क) विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी के अंतर्गत नगर पंचायत मल्हार में वर्ष 2014–15 व 2015–16 में कुल निम्नानुसार निर्माण कार्यो की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है:–

क्र	वित्तीय वर्ष	निर्माण कार्यो की संख्या
01	2014–15	210
02	2015–16	1300
	योग	**1510**

(ख) एवं (ग) जानकारी **परिशिष्ट** "अ" पर है।

(अमर अग्रवाल)
मंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास

परिशिष्ट ''अ''

विधानसभा प्रश्न कमांक 402 तारांकित
नगर पंचायत मल्हार

वर्ष 2014–15

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वार्ड कमांक	कार्य विवरण	कुल स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि	निर्माण कार्यों की स्थिति		
						पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
1		पार्षद निधि अंतर्गत्		17.00	17.00			
	वार्ड 01 से 15 के लिए	विद्युत व्यवस्था संधारण हेतु विद्युत सामग्री क्रय	1			पूर्ण	–	–
	वार्ड 01 से 15 के लिए	पेयजल व्यवस्था संधारण हेतु जलप्रदाय सामग्री क्रय	1			पूर्ण	–	–
	वार्ड क्र. 02	वार्ड क्र. 02 में चबुतरा निर्माण	1			पूर्ण	–	–
	वार्ड क्र. 01	वार्ड क्र. 01 में साहेब लहरे के घर से देवेन्द्र बंजारे के घर तक डब्ल्यू0बी0एम0 रोड निर्माण कार्य	1			पूर्ण	–	–
	वार्ड क्र. 07	वार्ड क्र. 07 में 01 नग हेण्ड पम्प स्थापना कार्य	1			पूर्ण	–	–
	वार्ड क्र. 10	वार्ड क्र. 10 में 01 नग हेण्ड पम्प स्थापना कार्य	1			पूर्ण	–	–
	वार्ड क्र. 14	वार्ड क्र. 14 में रंगमंच निर्माण कार्य	1			पूर्ण	–	–
	वार्ड 02	वार्ड क्र. 02 स्थित सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य	1			पूर्ण	–	–
2	वार्ड क्रं. 04 वार्ड क्रं. 10	**13 वें वित्त आयोग** अंतर्गत निम्न वार्डो में 150 एम.एम. व्यास नलकुप खनन एवं पंप स्थापना कार्यः– 1. कोसाराव रास्ता में 01 नग 2. पुरैना तालाब के पास 01 नग	2	3.00	3.00	पूर्ण	—	—
3	वार्ड क्र. 01 से 15 तक	**(स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत)** 200 नग निजी शौचालय निर्माण	200	38.35	38.35	पूर्ण	—	—
	योग		210	58.35	58.35			

वर्ष 2015–16

(राशि रू. लाख में)

क्रं.	वार्ड कंमाक	कार्य का विवरण	कुल स्वीकृत निर्माण कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि	निर्माण कार्यो की स्थिति		
						पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
1		पार्षद निधि अंतर्गत्		33.00	33.00			
	वार्ड 01 से 15 के लिए	विद्युत व्यवस्था संधारण हेतु विद्युत सामग्री क्रंय	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड 01 से 15 के लिए	पेयजल व्यवस्था संधारण हेतु जलप्रदाय सामग्री क्रय	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 04	वार्ड क्रमांक 04 में बोर खनन एवं हेण्ड पम्प स्थापना कार्य	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 15	वार्ड क्रमांक 15 में बोर खनन एवं हेण्ड पम्प स्थापना कार्य	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 12	वार्ड क्र. 12 में रंगमंच निर्माण कार्य	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 03	वार्ड क्र. 03 में रंगमंच निर्माण कार्य	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 12	वार्ड क्र. 12 में हाई स्कूल प्रांगण में रंगमंच शेड निर्माण	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 01	वार्ड क्र 01 में रंगमंच निर्माण कार्य	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 02	वार्ड 02 में रंगमंच निर्माण सारथी पारा	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 08	वार्ड 08 में रामायण गुप्ता के घर से विजय गुप्ता के घर तक नाली निर्माण कार्य	1			पूर्ण	—	—
	वार्ड क्र 09	वार्ड 09 में रंगमंच निर्माण	1			पूर्ण	—	—
1	वार्ड क्रं. 03	मनोज के घर से नाला तक डब्ल्यू0बी0एम0 एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1	54.68	20.00	—	—	अप्रारंभ
	वार्ड क्रं. 09	पुलिया निर्माण कार्य	1			—	—	अप्रारंभ

	वार्ड क्रं. 15	कटहा मोड से सतबहिनिया मंदिर तक डब्ल्यू0बी0एम0 एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1			—	—	अप्रारंभ
	वार्ड क्रं. 01	मेन रोड से नहर पार तक डब्ल्यू0बी0एम0 रोड निर्माण कार्य	1			—	—	अप्रारंभ
	वार्ड क्रं. 01	नहरपार से मोटु लहरे के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1			—	—	अप्रारंभ
	वार्ड क्रं. 14	कार्यालय भवन के सामने सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1			—	—	अप्रारंभ
2	वार्ड क्रं. 02	**(13 वे वित्त आयोग अंतर्गत)** पाईप लाईन एवं नलकूप खनन कार्य	**1**	9.00	9.00	—	—	अप्रारंभ
3	वार्ड क्रं. 11	**(14 वे वित्त आयोग अंतर्गत)** ढबहापारा में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	**02**	17.26	9.62	—	—	अप्रारंभ
	वार्ड क्रं. 05	रामनारायण के घर से मेन रोड़ तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य		11.56		—	—	अप्रारंभ
4	वार्ड कं. 01 से 15 तक	**(स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत)** 150 नग निजी शौचालय निर्माण ।	**150**	25.75	25.75	पूर्ण	—	—
5	वार्ड कं. 01 से 15 तक	**(भागीरथी नल जल योजना)** 1130 नग नल कनेक्शन	**1130**	33.90	11.95	35 नग	प्रगतिरत	—
			1300	**185.15**	**109.32**			